न्या० श्रीमान उपखंड अधिकारी, बसवा
उनवान :- बंशीधर वगै० बनाम राज० सरकार
अर्जी धारा 136 राज० भू० राज० अधि० 1956
हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
मु०नं० 31/2022 पुराना 28/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
6-8-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई, वास्ते निर्णय हेतु 21-8-24 को पेश हो।
4-9-24	पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 4-9-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
4-9-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान के वकील उपस्थित आये, बहस सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नकल नियमानुसार हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:58:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 31/2022
प्रकरण रज्जु दिनांक : 24.1.2022
निर्णय दिनांक :– 4.9.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. बंशीधर पुत्र कंहैयालाल
2. रमेश चंद पुत्र कंहैयालाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी मूही तहसील बसवा जिला–दौसा
(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा
2. गोरधन पुत्र छोटू
3. श्रीनारायण पुत्र गंगाधर
4. सुन्दर पुत्र हरपाल

समस्त जाति बैरवा निवासी मूही तह.बसवा जिला दौसा राजस्थान
(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 4.9.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री मनोज मिश्रा
2. अप्रार्थीगण 2 से 4 की ओर से श्री मुकेश चदं शर्मा

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128, एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी किये जाने हेतु पेश किया है कि वाके ग्राम मूही पटवार हलका मूही तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान में स्थित भूमि जिसके खाता संख्या नया 157 पुराना 163 खसरा नंबर 1935 रकबा 0.21 हैक्टयर, 1945 रकबा 0.44 हैक्टयर, 1946 रकबा 0.35 हैक्टयर, 1946/2526 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1947 रकबा 0.57 हैक्टयर, 1949/2459 रकबा 0.70 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 हैक्टयर भूमि एवं खाता संख्या नया 156 पुराना 157 के खसरा नंबर 1454 रकबा 0.52 हैक्टयर, 1456 रकबा 0.42 हैक्टयर, 2689/1455 रकबा 0.26 हैक्टयर, 2691/1459 रकबा 0.23 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.43 हैक्टयर भूमि स्थित है । उपरोक्त भूमि की सीमाएं निर्धारित कर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि फसल बोते काटते समय पडौसी खातेदार सीमा [illegible] झगडा करने पर आमादा हो जाते हैं । इस लिये उपरोक्त जमाबंदी एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 2.7.2021 अनुसार न्यायहित में पत्थरगढी करवाया जाना आवश्[illegible] है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:58:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

प्रकरण के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 2.7.2021 का अवलोकन किया गया । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हलका मूही द्वारा अंकन किया

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

गया है कि "आज दिनांक 2.7.2021 को श्रीमान् तहसीलदार साहब बसवा के आदेश क्रमांक भू.अ./2021/2710 दिनांक 24.6.2021 को मय हमराह पटवारी मूही के साथ ग्राम मूही के आराजी खसरा नंबर 1935/0.21, 1454/0.52, 2689/1455/0.26, 1456/0.42, 2691/1459/0.23, के मौके पर पहुचे मौके पर आवेदनकर्ता को बुलाया गया । मौके पर आराजी खसरा नंबर 1935/0.21 हैक्टयर भूमि का मुस्तकिल बिन्दु खसरा नंबर 1940/0.06 हैक्टयर, गै.मु.चाह व खसरा नंबर 1929/0.03 हैक्टयर गै.मु.चाह को मानकर जरीब चलाकर सीमा चिन्ह कायम किये गये । मौके पर खसरा नंबर 1454/0.52, 2689/1455/0.26, 1456/0.42, 2691/1459/0.23 किता 4 रकबा 1.43 हैक्टयर भूमि का सीमांकन के लिये मुस्तकिल बिन्दु खसरा नंबर 1442/0.03 हैक्टयर, 1466/0.02 गै.मु. चाह को मानकर, जरीब चलाकर सीमांकन किया गया । मौके पर उपस्थित मौतबिरान को सीमाकंन करके समझाया गया , मौका पर्चा पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने के संबंध में तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट पर उप तहसीलदार गुढाकटला, गिरदावर व पटवारी की हस्ताक्षरित रिपोर्ट पेश की गई । किंतु उक्त प्राप्त रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी । लिहाजा पुनः रिपोर्ट तलब की गई ।

गिरदावर गुढाकटला एवं पटवारी हलका मूही द्वारा पुनः दिनांक 4.5.2023 को जांच कर, इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि "प्रार्थी बंशीधर पि. कंहैया हिस्सा 1/2, रमेश चंद पि. कंहैया हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण ने तहसीलदार महोदय की सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पटवारी द्वारा व भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 2.7.2021 की श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश भू.अ./2021/2710 दिनांक 24.6.2021 को खसरा नंबर 1935/0.21, 1454/0.52, 2689/1455/0.26, 1456/0.42, 2671/1459/0.23 व्हा 1940/0.06 गै.मु.चाह से सीमाज्ञान करवाया गया, सीमाज्ञान से सब खातेदार सहमत थे, और उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये । लेकिन खसरा नंबर 1934/0.28 हैक्टयर, 1936/0.36 के खातेदार गोरधन पुत्र छोटू 1/3, श्रीनारायण पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/3, सुन्दर पि. हरपाल हिस्सा 1/3 जाति बैरवा का खेत पास में लगता है । पडौसी खातेदार हैं, खसरा नंबर 1935 रकबा 0.21 हैक्टयर, सीमाज्ञान से जमीन खसरा नंबर 1934/0.28 हैक्टयर व 1936/0.36 हैक्टयर में जाती है । अतः श्रीमान् जी पडौसी खातेदार गोरधन पुत्र छोटू हिस्सा 1/3, श्रीनारायण पुत्र गंगाधर हि. 1/3, सुन्दर पि. हरपाल हि. 1/3 को पार्टी बनाया जाना उचित है, जबही पत्थरगढी किया जाना संभव है, रिपोर्ट सेवा में पेश है ।"

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित पडौसी खातेदारान को प्रकरण में बतौर पक्षकार अप्रार्थी शामिल करने के निर्देश, प्रार्थीपक्ष को दिये गये, प्रार्थी पक्ष द्वारा सीपीसी 1/10 का प्रा.पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार किया गया। जिसके अनुसरण में उन्होंने संशोधित कॉज टाइटल पेश किया, एवं बतौर पक्षकार अप्रार्थी संख्या 2 से 4 में शामिल किया गया एवं उन्हें नोटिस जारी किये गये ।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थी के सटवां ही मिन विपक्षीगण की खातेदारी भूमि [illegible] विपक्षीगण जो कि पडोसी काश्तकारान है, बिना बुलाये व उनकी बिना सहमति [illegible] व [illegible]ना मौजूदगी के किसी भी प्रकार का सीमाज्ञान, मिन विपक्षीगण की [illegible] प्रार्थी के द्वारा करवा लिया गया हो तो वह विधि विपरीत व कानून [illegible] बिना मिन विपक्षीगण की भूमि खाता संख्या नया 364 पुराना 357 के खसरा नंबर [illegible]34, 1936, 1938, 1939 का सीमाज्ञान करवाये बिना, प्रार्थी किसी भी प्रकार से पत्थरगढी नहीं करवा सकता है । साथ ही अंकित किया कि मिन विपक्षीगण की भूमि का सीमाज्ञान करते हुए यदि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो उसमें विपक्षीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:58:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई । बहस के उपरांत यह पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा उनके जवाब में जो यह आक्षेप आरोपित किया है कि पहले उनकी भूमि का सीमाज्ञान किया जावे, तदोपरांत प्रार्थी पक्ष की पत्थरगढी की जावे, स्वीकार करने योग्य नहीं है, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 स्वयं की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी आवेदन के लिये स्वतंत्र हैं । अतः जवाब में प्रस्तुत इस आक्षेप को खारिज किया जाता है । किंतु वहीं उनके जवाब के कम में प्रार्थीपक्ष की पत्थरगढी किये जाने के संबंध में यह आदेश प्रदान किया जाना उचित पाते हैं कि अब जक तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थी पक्ष की भूमि की पत्थरगढी की जावे, तो पत्थरगढी से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को जरिये नोटिस पत्थरगढी दिनांक से अवगत कराते हुए, प्रार्थी पक्ष की आराजियात का पुन सीमाज्ञान प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी पक्ष की मौजूदगी में किया जाकर, तदोपरांत पत्थरगढी प्रकिया अमल में लाई जावे ।

तथापि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया है उसमें से यदि भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थी को सीमा विवाद से सुरक्षा प्राप्त होगी । ऐसी दशा में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा निम्न आदेश में अंकित खसरा नंबर जिनकी पत्थरगढी की जानी है, उस सीमाज्ञान व पत्थरगढी के दौरान पत्थरगढी से पूर्व प्रार्थीपक्ष सहित अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु नोटिस जारी करके, उक्त की उपस्थिति में निम्नांकित आराजियात का सीमाज्ञान करके पत्थरगढी की जावे । चूंकि 2.7.2021 के सीमाकंन मौका पर्चा अनुसार केवल खसरा नंबर 1935/0.21, 1454/0.52, 2689/1455/0.26, 1456/0.42, 2691/1459/0.23 ग्राम मूही का ही सीमाज्ञान किया गया है । अतः प्रार्थीगण की आराजी ग्राम मूही के आराजी खसरा नंबर केवल 1935/0.21, 1454/0.52, 2689/1455/0.26, 1456/0.42, 2691/1459/0.23, भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी उपरोक्तानुसार प्रकिया अपनाकर कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला–दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:58:17 IST
Reason: SelfAttested